तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
10-06-25	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थी । श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक अप्रार्थीगण। **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी अंतर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांरा के आदेश दिनांक 16–02–06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांरा के समक्ष प्रस्तुत किया। दौराने वाद अप्रार्थी संख्या 1 अमरलाल की मृत्यु हो गई। जिसके संबंध में प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया। जिसे विचारण न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर हस्तगत निगरानी माननीय मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि मृतक अमरलाल अपने जीवन काल में एक वसीयत दिनांक 17.04.2005 को लोकेश कुमार व हरीश कुमार के पक्ष में निष्पारित करवा गया। जिस कारण मृतक अमरलाल के स्थान पर उनका प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए था। महज प्रतिवादी जानकीलाल की आपत्ति पर प्रार्थना पत्र खारिज कर देने में अवैधानिकता की है। क्योंकि उक्त व्यक्तियों को मृतक अमरलाल के स्थान पर प्रतिस्थापित करने में प्रतिवादी जानकीलाल के कोई हित प्रभावित नहीं हो रहे थे और ना ही जानकीलाल को कोई आपत्ति करने का अधिकार था। वसीयत में विवादित आराजी का अंकन नहीं है जबकि वसीयत के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उसमें विवादित आराजी के खसरों का अंकन है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत को पूर्ण रूप से अनदेखा कर निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी विधि विरूद्ध क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर खारिज किया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 16–02–06 निरस्त किया जावे। 4. उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि मृतक अमरलाल के वारिसान लोकेश कुमार तथा हरीश कुमार नहीं है बल्कि उसका पुत्र वादी रामेश्वर तथा उसकी बेटी मृतक रतन	`

के पुत्र व पुत्रियां है। प्रार्थना पत्र में आरोपित अमरलाल की कथित वसीयत जो लोकेश कुमार व हरीश कुमार के पक्ष में बताई गई है, सर्वथा बनावटी है और मृतक श्री अमरलाल की मृत्यु के बाद तैयार किया गया फर्जी दस्तावेज है। इसके अतिरिक्त कायम मुकामी ना तो नियमानुसार पेश की गई थी और ना ही कालावधि में पेश की गई था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी खारिज करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली के साथ आलोच्य आदेश के साथ प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अद्योपांत अवलोकन किया गया।

6. अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी को खारिज करते हुये यह अंकित किया है कि ''यह विधिक प्रक्रिया है कि मृतक का विधिक वारिस प्रथम पुत्र होता है। यहां वादी मृतक अमरललाल का पुत्र है एवं वह पूर्व से ही वादी है इसके अलावा हम वकील अप्रार्थी/प्रतिवादी के इस कथन से भी सहमत है कि अमरलाल द्वारा कथित वसीयत में विवादित आराजी का अंकन नहीं है अतः वादी स्वयं प्रतिवादी क्रम 1 अमरलाल का विधिक वारिस होने से उनके पोतों को पक्षकार बनया जाना उचित नहीं है।'' इस आधार पर विचारण न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी खारिज किया है।

7. हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थाना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी खारिज करने में स्पष्टतया सारवान कानूनी त्रुटि कारित की है क्योंकि उक्त वसीयत में लोकेश कुमार व हरीश कुमार को मृतक अमरलाल के अधिकार प्राप्त हो गए और प्रार्थी ने अमरलाल के खिलाफ अपने वाद में दादरसी चाही है। यदि मृतक का राईट टू सूसरवाईव करते है और उनको मृतक के स्थान पर पक्षकार नहीं बनाया जाता है तो वाद में अनावश्यक पेचीदगियां बढ़ेंगी। इसके अलावा भी उक्त व्यक्तियों को मृतक अमरलाल के स्थान पर प्रतिस्थिापित किये जाते हैं तो जानकीलाल के कोई हित प्रभावित नहीं होतें हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

8. परिणामतः हस्तगत निगरानी स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांरा का आदेश दिनांक 16-02-2006 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि वसीयत के आधार पर अमरलाल के स्थान पर उनके पोते लोकेश कुमार व हरीश कुमार को प्रतिस्थापित किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली बाद फेसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय आदेश प्रति अविलंब लौटाई जावें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य